

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 807 सन 2021

अनवान :-

1. नत्थुराम पुत्र मानाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. धर्मपाल पुत्र मानाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर
3. रामकिशन पुत्र मानाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. पार्वती पुत्री मानाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर
2. धापादेवी पुत्री मानाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर
3. गोमती देवी पुत्री मानाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 14.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की चक 12 बाराणी के खाता संख्या 48/48 की कुल 9.8670हैक में से सयुक्त तौर से 3/48 हिस्सा व रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 155/154 की कुल 1.6820हैक में से 1/3 हिस्सा ,रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 150/149 की कुल 13.5700हैक में से 1/12 हिस्सा, एवे रोही मौजा 22 डीपीएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 14.2820हैक में से 3813/142820 हिस्सा एवं भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजकोरी एवं वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजकोरी एवं वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से है राजकोरी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की माता है राजकोरी का देहान्त हो चुका है राजकोरी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो राजकोरी के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादी की बहने है एवं राजकोरी की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि जो राजकोरी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है के वादीगण का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की राजकोरी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजकोरी एवं वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से है राजकोरी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की माता है राजकोरी का देहान्त हो चुका है राजकोरी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो राजकोरी के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं उपखण्ड अधिकारी पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

  
उपखण्ड अधिकारी  
पेरोकार राज  
नोहर

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान- वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार चक 12 बरानी के खाता संख्या 48/48 की कुल 9.8670हैक् में से सयुक्त तौर से 3/48 हिस्सा व रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 155/154 की कुल 1.6820हैक् में से 1/3 हिस्सा ,रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 150/149 की कुल 13.5700हैक् में से 1/12 हिस्सा, एवे रोही मौजा 22 डीपीएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 14.2820हैक् में से 3813/142820 हिस्सा एवं भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजकोरी एवं वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजकोरी एवं वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से है राजकोरी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की माता है राजकोरी का देहान्त हो चुका है राजकोरी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो राजकोरी के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके नाम भूमि विरास्तन से प्राप्त हुई है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि चक 12 बरानी के खाता संख्या 48/48 की कुल 9.8670हैक् में से सयुक्त तौर से वादीगण प्रत्येक 3/48 -3/48 हिस्सा का व रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 155/154 की कुल 1.6820हैक् में से वादीगण प्रत्येक 1/3 ,1/3 हिस्सा ,रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 150/149 की कुल 13.5700हैक् में से वादीगण 1/12, 1/12 हिस्सा, एवे रोही मौजा 22 डीपीएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 14.2820हैक् में से वादीगण प्रत्येक 0.5082 हैक् 0.5082 हैक् भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

ओहर ( हमुमानगढ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट...दिपलाना .

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. नत्थुराम पुत्र मानाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. धर्मपाल पुत्र मानाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर
3. रामकिशन पुत्र मानाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. पार्वती पुत्री मानाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर
2. धापादेवी पुत्री मानाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर
3. गोमती देवी पुत्री मानाराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 807 सन 2021 निर्णय दिनांक- 14.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि चक 12 बरानी के खाता संख्या 48/48 की कुल 9.8670हैक् में से सयुक्त तौर से वादीगण प्रत्येक 3/48 -3/48 हिस्सा का व रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 155/154 की कुल 1.6820हैक् में से वादीगण प्रत्येक 1/3 ,1/3 हिस्सा ,रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 150/149 की कुल 13.5700हैक् में से वादीगण 1/12, 1/12 हिस्सा, एवे रोही मौजा 22 डीपीएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 14.2820हैक् में से वादीगण प्रत्येक 0.5082 हैक् 0.5082 हैक् भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

नोहर ( हनुमानगढ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट...दिपलाना.